वर्ष 24 | अंक 11 | सांचौर सोमवार , 1 जून, 2026 | संस्थापक : स्व. श्री भगवानदास वैष्णव | मूल्य वार्षिक 500 रुपये | UDYAM-RJ-19-0033346 | कुल पृष्ठ - 4

RNI Reg No. RAJHIN/2003/10136 Post By Periodical post (Press and Registration of Periodicals Act, 2023)

Www.MarwadkaMitra.in

IF UNDELIVERED PLEASE RETURN TO Regd. Office
वैष्णव फार्म परावा,
जिला - जालोर (343041)

# मारवाड़ का मित्र

सहकारी आंदोलन को समर्पित हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र (मारवाड़ आंचल से प्रकाशित) सांचौर (जालोर) से प्रकाशित हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र

प्रकाश वैष्णव -प्रकाशक/संपादक 9602473302

# FIG पोर्टल या ऋण की राह का सबसे बड़ा रोड़ा?

**मारवाड़ का मित्र नेटवर्क**
Www.marwadkamitra.in

जोधपुर । सहकारिता विभाग वर्षों से दावा करता आया है कि राजस्थान में किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था देश में सबसे मजबूत है। हर बजट सत्र में हजारों करोड़ रुपये के फसली ऋण वितरण के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, लाखों किसानों को लाभान्वित करने के दावे किए जाते हैं और सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की बात कही जाती है। लेकिन जब इन दावों की परतें हटाकर जमीनी हकीकत देखी जाती है, तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। किसानों को डिजिटल सुविधा देने के नाम पर लागू किया गया एफआईजी पोर्टल आज किसानों, ग्राम सेवा सहकारी समितियों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण बन चुका है। जिस पोर्टल को पारदर्शिता, गति और दक्षता का प्रतीक बताया गया था, वही पोर्टल आज ऋण वितरण की राह में सबसे बड़ा अवरोध बन गया है। वर्ष 2019 में जब बायोमेट्रिक आधारित ऋण वितरण प्रणाली लागू की गई, तब इसे सहकारिता क्षेत्र में क्रांति बताया गया था। कहा गया था कि किसान का अंगूठा लगेगा और कुछ ही मिनटों में ऋण स्वीकृत होकर खाते में पहुंच जाएगा। ब्याज अनुदान का भुगतान समय पर होगा, नाबार्ड पुनर्भरण में देरी नहीं होगी और समितियों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। लेकिन छह वर्षों बाद स्थिति यह है कि किसान घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, पोर्टल बार-बार बंद हो जाता है, अंगूठा मशीन में नहीं चलता और समितियां ब्याज अनुदान की बकाया राशि के लिए दर-दर भटक रही हैं। विडंबना यह है कि जिस योजना का उद्देश्य किसानों को साहूकारी व्यवस्था से मुक्त करना था, वही योजना अब स्वयं प्रशासनिक उदासीनता और तकनीकी विफलता की शिकार हो गई है। करोड़ों रुपये के ऋण वितरण के आंकड़े जरूर मौजूद हैं, लेकिन किसान आज भी

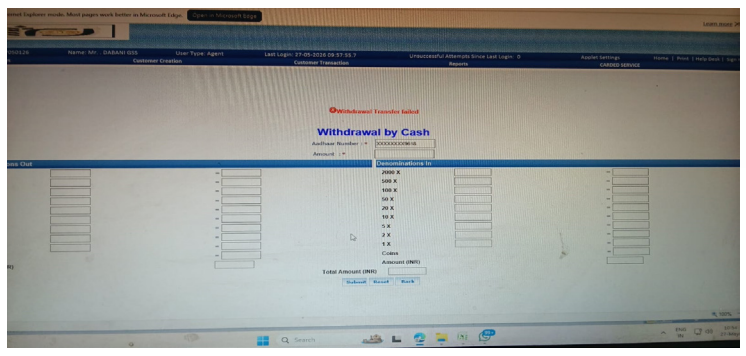


अपनी स्वीकृत साख सीमा का पूरा लाभ नहीं ले पा रहा है। कई स्थानों पर नए किसानों को नाममात्र की राशि देकर ऋण वितरण के लक्ष्य पूरे किए जा रहे हैं, जबकि वास्तविक आवश्यकता कहीं अधिक है। राजस्थान में सहकारी ऋण व्यवस्था का आधार ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं। इन्हीं समितियों के माध्यम से किसानों को ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजना के अनुसार किसान समय पर ऋण चुकाता है तो उसे ब्याज नहीं देना पड़ता और ब्याज की राशि सरकार द्वारा अनुदान के रूप में वहन की जाती है। सुनने में यह व्यवस्था आदर्श लगती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि पिछले दो वर्षों से अनेक समितियां ब्याज अनुदान की बकाया राशि का इंतजार कर रही हैं। कई समितियों के व्यवस्थापकों का कहना है कि समय पर अनुदान नहीं मिलने से समितियों की नकदी व्यवस्था प्रभावित हुई है। उन्हें स्वयं बिना वेतन के काम चलाना पड़ रहा है। योजना का सबसे महत्वपूर्ण आधार था कि तकनीक के माध्यम से ऋण वितरण और वसूली का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा। लेकिन जब पोर्टल ही बार-बार बंद होने लगे, सर्वर जवाब देना बंद कर दे और किसानों की बायोमेट्रिक पहचान विफल होने लगे, तब पूरी व्यवस्था सवालों के घेरे में आ जाती है। सहकारिता विभाग के अनेक कर्मचारी-अधिकारी बताते हैं कि कई बार किसान सुबह समिति पहुंचता है और शाम तक इंतजार करने के बाद भी ऋण नहीं मिल पाता। कंप्यूटर स्क्रीन बार-बार फ्रीज हो जाती है, प्रक्रिया बीच में रुक जाती है और फिर पूरी प्रक्रिया दोबारा शुरू करनी पड़ती है। यह स्थिति केवल एक-दो दिनों की नहीं बल्कि वर्षों से बनी हुई समस्या है। हर सीजन में पोर्टल की तकनीकी विफलता चर्चा का विषय बनती है, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं हो पाया। तकनीक को पारदर्शिता का माध्यम माना गया था, लेकिन अब यही तकनीक हजारों किसानों के लिए बाधा बन चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जो वर्षों से खेतों में मेहनत करते रहे हैं। लगातार श्रम के कारण उनके हाथों की रेखाएं धुंधली हो चुकी हैं। कई बुजुर्ग किसानों के अंगूठे की पहचान मशीन नहीं कर पाती। परिणामस्वरूप वे अपनी ही साख सीमा से ऋण प्राप्त नहीं कर पाते। प्रश्न यह है कि यदि किसी किसान का अंगूठा मशीन में पहचान नहीं हो रहा है, तो क्या उसे ऋण से वंचित कर देना समाधान है? सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, लेकिन ग्रामीण भारत की वास्तविकताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तकनीक सुविधा का साधन हो सकती है, अधिकार छीनने का माध्यम नहीं। आज कई किसान ऐसे हैं जिनकी साख सीमा वर्षों पहले स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन वे पूरी राशि प्राप्त नहीं कर पाए। कई मामलों में किसान को एकमुश्त राशि के बजाय छोटी-छोटी किश्तों में ऋण दिया जाता है। इससे खेती की लागत का प्रबंधन प्रभावित होता है और किसान निजी उधारी लेने को मजबूर हो जाता है।

## ब्याज अनुदान: सरकार का वादा, समितियों का इंतजार

ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना का पूरा ढांचा ब्याज अनुदान पर आधारित है। किसान समय पर ऋण चुकाता है और ब्याज का भुगतान सरकार करती है। लेकिन जब यही अनुदान समय पर नहीं पहुंचे तो पूरी व्यवस्था लड़खड़ाने लगती है। प्रदेश की अनेक ग्राम सेवा सहकारी समितियां वर्षों से लंबित ब्याज अनुदान की राशि की प्रतीक्षा कर रही हैं। समिति प्रबंधकों का कहना है कि सरकार की ओर से घोषणा तो समय पर हो जाती है, लेकिन वास्तविक भुगतान में लंबा विलंब होता है। इसके कारण समितियों की कार्यशील पूंजी प्रभावित होती है। कई समितियों को अपनी वित्तीय जिम्मेदारियां निभाने के लिए अतिरिक्त उधारी लेनी पड़ती है। कुछ समितियां तो ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी हैं जहां उनके लिए दैनिक संचालन भी चुनौती बन गया है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ब्याज मुक्त योजना का लाभ किसानों को देने वाली संस्थाएं स्वयं ब्याज के बोझ तले दबती जा रही हैं।

## आंकड़ों में छिपी ऋण वितरण की कहानी

*राज्य सरकार दावा करती है कि करोड़ों रुपये का फसली ऋण किसानों तक पहुंच रहा है। लेकिन जब ऋण वितरण के आंकड़ों को किसान संख्या के साथ जोड़कर देखा जाता है, तो एक अलग तस्वीर सामने आती है।*

### पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख जिलों में वितरित ऋण और लाभान्वित किसानों का औसत इस प्रकार है

| सीसीबी | इस वित्तीय वर्ष का ऋण लक्ष्य | ऋणी किसान | (प्रति किसान) औसत ऋण |
|---|---|---|---|
| बाड़मेर | 1300 करोड़ | 3 लाख | 43,333 रुपये |
| जैसलमेर | 380 करोड़ | 64 हजार | 59,375 रुपये |
| जालोर | 740 करोड़ | 1.32 लाख | 56,060 रुपये |
| जोधपुर | 809 करोड़ | 1.27 लाख | 63,700 रुपये |
| पाली | 938 करोड़ | 1.05 लाख | 89,333 रुपये |
| सिरोही | 285 करोड़ | 35 हजार | 81,428 रुपये |

**इन आंकड़ों की तुलना यदि योजना के प्रावधानों से की जाए, तो प्रश्न उठता है कि जब एक किसान को एक सीजन में डेढ़ लाख रुपये तक का ऋण दिया जा सकता है, तब अधिकांश किसानों तक औसत राशि इतनी कम क्यों पहुंच रही है?**

**क्या किसानों को उनकी वास्तविक पात्रता के अनुसार ऋण मिल रहा है या केवल लक्ष्य पूर्ति के लिए आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं?**

## नए किसानों के साथ भेदभाव

सहकारिता व्यवस्था का उद्देश्य अधिकाधिक किसानों को संस्थागत ऋण से जोड़ना है। लेकिन नई सदस्यता लेने वाले किसानों की स्थिति और भी चिंताजनक दिखाई देती है। जानकारी के अनुसार कई जिलों में नए ऋणी किसानों को अत्यंत कम राशि देकर औपचारिकता पूरी की जा रही है। जालोर में कई नए किसानों को लगभग 10 हजार रुपये तक की राशि, जबकि सिरोही में लगभग 35 हजार रुपये तक और पाली, जोधपुर और बाड़मेर में करीब 25-25 हजार रुपये का ऋण मिल रहा है। जबकि जैसलमेर में कई नए किसानों को ऋण तक उपलब्ध नहीं हो पाया। यह स्थिति तब है जब कृषि लागत लगातार बढ़ रही है। बीज, खाद, डीजल, मजदूरी और सिंचाई का खर्च पहले की तुलना में कहीं अधिक हो चुका है। ऐसे में 10 हजार या 25 हजार रुपये का ऋण किसी किसान की वास्तविक आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता। यह केवल रिकॉर्ड में किसान जोड़ने का माध्यम बनकर रह जाता है।

## सवाल जो जवाब मांगते हैं

- यदि एफआईजी पोर्टल सफल है तो हर सीजन में तकनीकी संकट क्यों पैदा होता है?
- यदि किसान को डेढ़ लाख रुपये तक ऋण देने का प्रावधान है, तो अधिकांश किसानों का औसत ऋण इससे बहुत कम क्यों है?
- नए किसानों को नाममात्र की राशि देकर लक्ष्य पूर्ति क्यों की जा रही है?
- ब्याज अनुदान की बकाया राशि समय पर क्यों जारी नहीं हो रही?
- शीर्ष सहकारी बैंक में लोकतांत्रिक चुनाव कब होंगे?
- किसानों और समितियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई?

## सालभर किया सत्कार, किसान रहा लाचार!

सहकारिता विभाग और राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के अधिकारियों की कार्यशैली को देखकर लगता है कि किसानों की समस्याओं का समाधान करना उनकी प्राथमिकता नहीं, बल्कि सेमिनारों, सम्मेलनों और स्वागत-सत्कार की परंपरा को जीवित रखना ज्यादा जरूरी है। किसानों को डिजिटल क्रांति का सपना दिखाया गया, लेकिन हकीकत यह है कि किसान आज भी पोर्टल के सामने उतना ही बेबस खड़ा है जितना वर्षों पहले कागजी फाइलों के सामने खड़ा रहता था। एक तरफ सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर पैक्स कंप्यूटरीकरण, डिजिटलीकरण और सहकारिता आधुनिकीकरण की उपलब्धियां गिनाती है, दूसरी तरफ सहकारिता के शीर्ष पर बैठा राजस्थान राज्य सहकारी बैंक पिछले एक दशक से लोकतांत्रिक नेतृत्व का इंतजार कर रहा है। किसान प्रतिनिधियों की जगह प्रशासकों का राज है और चुनावों की जगह आदेशों से व्यवस्था चलाई जा रही है। सवाल यह है कि जब सहकारिता का मूल मंत्र ही "सदस्य सर्वोपरि" और "लोकतांत्रिक नियंत्रण" है, तो फिर किसानों की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था पर किसानों का नियंत्रण आखिर कब लौटेगा? सहकारिता के गलियारों में यह चर्चा नई नहीं है कि यदि बैंकों में चुने हुए किसान प्रतिनिधि बैठे होते तो शायद सबसे पहले एफआईजी पोर्टल की हालत पर सवाल उठते, ब्याज अनुदान की लंबित राशि का हिसाब मांगा जाता और किसानों को उनकी स्वीकृत साख सीमा का पूरा लाभ दिलाने की लड़ाई लड़ी जाती। लेकिन यहां तो व्यवस्था कुछ ऐसी है कि किसान लाइन में खड़ा है और अधिकारी मंच पर। विडंबना देखिए, जिस बैंक की संचित पूंजी किसानों के हितों की रक्षा, समितियों के सुदृढ़ीकरण और तकनीकी सुधारों पर खर्च होनी चाहिए थी, उसी पूंजी के खर्च को लेकर सहकारिता जगत में अलग-अलग चर्चाएं सुनाई देती हैं। कहीं राष्ट्रीय सेमिनार, कहीं भव्य सम्मेलन, कहीं वीआईपी स्वागत, कहीं विभागीय आयोजन, तो कहीं चमक-दमक से भरे कार्यक्रम। ऐसा लगता है मानो त्रि-स्तरीय सहकारी साख संरचना में ऋण व्यवसाय का असली संकट पोर्टल नहीं, बल्कि एकाधिकार नीति थोपने की मंशा हैं । उधर किसान ऋण के लिए अंगूठा मशीन पर लगाता है, इधर व्यवस्था मेहमानों के स्वागत में रेड कार्पेट बिछाने में व्यस्त दिखाई देती है। सबसे बड़ा सवाल तो एफआईजी पोर्टल को लेकर है। करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद यह पोर्टल हर सीजन में किसानों और समितियों की परीक्षा क्यों लेता है? यदि यह प्रणाली इतनी सफल है तो फिर ऋण वितरण के समय सर्वर क्यों बैठ जाता है? किसानों के अंगूठे क्यों फेल हो जाते हैं? और समिति कर्मचारियों को बार-बार तकनीकी त्रुटियों से क्यों जूझना पड़ता है? हैरानी की बात यह है कि इन सवालों का जवाब देने वाला कोई दिखाई नहीं देता। पोर्टल खराब हो तो कर्मचारी जिम्मेदार, ऋण में देरी हो तो समिति जिम्मेदार, लेकिन पोर्टल बनाने और चलाने वाले जवाबदेह कौन हैं, यह आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया। सहकारिता जगत के जानकार तंज कसते हुए कहते हैं कि किसानों के लिए बनाई गई व्यवस्था में किसान सबसे आखिरी पायदान पर पहुंच गया है। ऊपर से नीचे तक बैठकों, प्रस्तुतियों और उपलब्धियों का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन जब किसान ऋण लेने समिति पहुंचता है तो उसे बताया जाता है कि "सर्वर डाउन है", "पोर्टल नहीं चल रहा" या "थोड़ा इंतजार करिए"। यानी किसानों को डिजिटल सहकारिता का सपना दिखाया गया, लेकिन हकीकत में उनके हिस्से आया इंतजार, तकनीकी परेशानी और अधूरी सुविधाएं।

## विधानसभा में खुला सच: बजट गायब, नीतियां ठंडे बस्ते में!

सरकारी दावों की कलई तब पूरी तरह खुल गई जब राजस्थान विधानसभा के चतुर्थ सत्र के दौरान विधायक जाकिर हुसैन गैसावत के एक तारांकित सवाल के लिखित जवाब में सहकारिता विभाग ने स्वयं ऐसी बातें स्वीकार कीं, जिसने सरकार के दोहरे चरित्र को बेनकाब कर दिया। केंद्रीय बजट में बड़े जोर-शोर से घोषणा की गई थी कि केसीसी के जरिए किसानों को 5 लाख रुपये तक के अल्पकालीन ऋण पर केवल 4 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर का लाभ दिया जाएगा। लेकिन जब विधानसभा में इस संबंध में सवाल पूछा गया, तो सहकारिता विभाग के लिखित जवाब से स्पष्ट हुआ कि 'राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति' राजस्थान या सूबे के अन्य किसी भी केंद्रीय व व्यावसायिक बैंक को इस नीति के जमीनी क्रियान्वयन के संबंध में अब तक सरकार से कोई स्पष्ट वित्तीय व प्रशासनिक दिशा-निर्देश प्राप्त ही नहीं हुए हैं। यानी दिल्ली से घोषणा तो हो गई, लेकिन जयपुर के दफ्तरों में वह फाइल धूल फांक रही है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला और निराशाजनक खुलासा सरकार ने केंद्रीय सहकारी बैंकों की माली हालत को लेकर किया। सरकार ने विधानसभा के पटल पर साफ तौर पर स्वीकार कर लिया है कि केंद्रीय सहकारी बैंकों के पास उपलब्ध सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए, वर्तमान में किसानों की ऋण राशि को बढ़ाने या इन बैंकों को अलग से कोई नया वित्तीय संसाधन/बजट पैकेज उपलब्ध कराने का कोई भी प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, इन फसली ऋणों का अधिकतम 60 प्रतिशत तक का पुनर्भरण ही राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से किया जाता है। एक तरफ केंद्र और राज्य के बीच नीतिगत और बजटीय तालमेल का पूर्ण अभाव है, और दूसरी तरफ राज्य सरकार द्वारा साफ तौर पर हाथ खड़े कर लिए जाने से, सहकारी साख ढांचे की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी- जो किसान और सोसायटियों को जोड़ती है पूरी तरह चरमरा कर टूट गई है। जब बैंकों के पास पैसा ही नहीं होगा और पोर्टल पर एरर का ताला लगा रहेगा, तो ऋण वितरण केवल एक कागजी छलावा बनकर ही रह जाएगा।

## न्यायपालिका के आदेश... सिर्फ फाइलों की शोभा!

**सहकारी समितियों की स्वायत्तता, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों और नौकरशाही के अनावश्यक हस्तक्षेप को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत से लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय तक ने समय-समय पर ऐतिहासिक और कड़े निर्णय पारित किए हैं। संविधान के 97वें संशोधन के बाद सहकारी सोसायटियों को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, जिसके तहत सोसायटियों के कामकाज में सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए और उनके वित्तीय व प्रशासनिक फैसले लेने का अधिकार उनकी आमसभा और निर्वाचित बोर्ड को होना चाहिए। लेकिन राजस्थान की सहकारिता ब्यूरोक्रेसी के अभेद्य किले में इन अदालती आदेशों और संवैधानिक प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने वाला कोई माई-का-लाल नहीं है। फाइलों में, प्रेजेंटेशन में और मंत्रियों की ब्रीफिंग बुक में राजस्थान सहकारिता के क्षेत्र में देश में 'प्रथम स्थान' पर दिखाई देता है, लेकिन हकीकत की कड़वी धूप में आज भी राजस्थान का किसान कर्ज की एक-एक किश्त के लिए सोसायटियों के बाहर कतार में खड़ा अपना पसीना बहा रहा हैं । अदालती आदेश फाइलों के भीतर लाल फीताशाही के नीचे दबे पड़े हैं और अधिकारी अपनी मनमर्जी के नए-नए सर्कुलर जारी कर सोसायटियों की स्वायत्तता का गला घोंट रहे हैं।**

## पैक्स कंप्यूटरीकरण के बाद भी दोहरी व्यवस्था क्यों?

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पैक्स कंप्यूटरीकरण योजना के तहत करोड़ों रुपये खर्च कर ग्राम सेवा सहकारी समितियों को ईआरपी आधारित एकीकृत डिजिटल प्रणाली से जोड़ा गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ऋण वितरण, लेखांकन, सदस्यता और वित्तीय प्रबंधन सहित सभी कार्यों के लिए ईआरपी पोर्टल उपलब्ध है, तो फिर किसानों को ऋण वितरण के लिए अलग से एफआईजी पोर्टल की बाध्यता क्यों लागू की गई है? क्या यह दोहरी डिजिटल व्यवस्था किसानों और समितियों पर अनावश्यक प्रशासनिक बोझ नहीं बढ़ा रही? यदि ईआरपी प्रणाली सक्षम और पूर्ण है, तो एफआईजी पोर्टल की आवश्यकता क्या है? और यदि एफआईजी ही अनिवार्य है, तो फिर पैक्स कंप्यूटरीकरण पर खर्च किए गए करोड़ों रुपये का वास्तविक औचित्य क्या है? सवाल यह भी है कि क्या दो-दो पोर्टलों की यह व्यवस्था सहकारिता को सरल बनाने के बजाय और अधिक जटिल नहीं बना रही है? यह प्रश्न आज केवल समिति कर्मचारियों का ही नहीं, बल्कि उन लाखों किसानों का भी है जो तकनीकी खामियों और दोहरी प्रक्रियाओं के कारण समय पर ऋण प्राप्त करने से वंचित हो रहे हैं।

## सहकारिता का भविष्य किस दिशा में?

*राजस्थान का सहकारिता आंदोलन देश के सबसे पुराने और प्रभावशाली आंदोलनों में से एक रहा है। इसी आंदोलन ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग और ऋण सुविधाओं को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन आज यह व्यवस्था कई चुनौतियों से घिरी हुई दिखाई देती है तकनीकी अव्यवस्था, लंबित ब्याज अनुदान, सीमित वित्तीय संसाधन, नए किसानों की उपेक्षा, प्रशासनिक केंद्रीकरण, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का अभाव, समितियों की कमजोर होती आर्थिक स्थिति । वही यदि इन समस्याओं का समाधान समय रहते नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में सहकारी ऋण व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर असर पड़ सकता है।*

**-सूरजभानसिंह आमेरा, सहकार नेता**

## ब्याज मुक्त योजना या वित्तीय भ्रम?

*सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना को गिना जाता है। लेकिन विशेषज्ञों का एक वर्ग मानता है कि केवल ब्याज माफ कर देना पर्याप्त नहीं है। यदि ऋण समय पर न मिले, पर्याप्त मात्रा में न मिले और वितरण प्रक्रिया बाधित रहे तो ब्याज मुक्त होने का लाभ सीमित हो जाता है। किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात समय पर और पर्याप्त ऋण है। यदि वह उपलब्ध नहीं है, तो योजना का मूल उद्देश्य ही प्रभावित हो जाता है।*

***-हनुमानसिंह राजावत, प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन***

## एक्सपर्ट व्यू

*यह पूरा विवाद केवल किसी सॉफ्टवेयर या पोर्टल की तकनीकी खामी का मामला नहीं है। यह सवाल उस सोच का है जिसमें योजनाओं की सफलता का मूल्यांकन आंकड़ों से किया जाता है, लेकिन किसानों के अनुभवों से नहीं। सरकारी रिपोर्ट कहती है कि करोड़ों रुपये वितरित हुए। सीसीबी बैंक कहते हैं कि संसाधन सीमित हैं। समितियां कहती हैं कि अनुदान अटका हुआ है। और किसान कहता है कि उसे पूरा ऋण नहीं मिला। जब चारों पक्ष अलग-अलग कहानी सुना रहे हों, तब यह मान लेना कठिन है कि व्यवस्था पूरी तरह सफल है।*

## स्वायत्तता का दिखावा या प्रशासनिक नियंत्रण?

सहकारिता का मूल मंत्र 'स्वैच्छिक संगठन' और 'स्वायत्तता' रहा है, लेकिन राजस्थान में सहकारी समितियों, विशेषकर पैक्स की वर्तमान स्थिति एक अजीब विरोधाभास को जन्म दे रही है। एक ओर, रजिस्ट्रार कार्यालय परिपत्र जारी कर यह स्पष्ट करता है कि पैक्स द्वारा अंगीकृत "आदर्श उप-नियमों" में वर्णित गतिविधियों के लिए किसी पृथक अनुमति की आवश्यकता नहीं है, जिसे विभाग 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' का नाम देता है। वहीं, दूसरी ओर, उसी विभाग द्वारा उर्वरकों की बिक्री को लेकर जारी निर्देश सहकारी समितियों की स्वायत्तता पर गहरा प्रश्नचिह्न लगाते हैं। हालिया निर्देश में यह तय कर दिया गया है कि सहकारी समितियां केवल विशिष्ट कंपनियों (इफको, कृभको, आईपीएल आदि) के उत्पाद ही बेचेंगे और अन्य प्रकार के उर्वरक (जैसे प्रोम) का विक्रय नहीं करेंगे। यह 'स्वायत्त निकाय' होने के दावों का सीधा उल्लंघन है। जब सरकार पूंजीगत सहायता या अनुदान देती है, तो वह समितियों को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करती है, लेकिन वैधानिक और न्यायिक दृष्टिकोण पूरी तरह भिन्न है। सर्वोच्च न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय के अनेक ऐतिहासिक निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि सहकारी समितियाँ अपने स्वयं के विधान (बाय-लॉज़) और 'राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001' के तहत संचालित होती हैं। इन निर्णयों का सार यही है कि एक बार जब समिति पंजीकृत हो जाती है, तो उसकी आंतरिक निर्णय प्रक्रिया में सरकारी हस्तक्षेप की सीमाएं तय होती हैं। स्वायत्तता सर्वोपरि है; यह विभाग की इच्छा पर निर्भर नहीं हो सकती। अनुदान का अर्थ सरकारी 'कमांड' नहीं, बल्कि जन-कल्याण के कार्यों में सहयोग होना चाहिए। यदि हर छोटे व्यापारिक निर्णय के लिए 'आदेश' थोपे जाएंगे, तो इन संस्थाओं का लोकतांत्रिक चरित्र महज कागजी बनकर रह जाएगा। समय आ गया है कि विभाग परिपत्रों के माध्यम से स्वायत्तता का भ्रम पैदा करने के बजाय, न्यायपालिका द्वारा स्थापित सिद्धांतों का सम्मान करे।

# वित्तीय वेंटिलेटर पर सहकारी संस्थान और वेतन आहरण की विसंगति...

**-प्रकाश वैष्णव**
लेखक स्तंभकार, संपादक एवं सहकार चिंतक हैं ।

**"घाटे से जूझ रहे स्वायत्त सहकारी बैंकों के संचित कोष से, बिना कार्यभार संभाले सरकारी अधिकारियों को वेतन देना गंभीर वित्तीय कदाचार और विनियामक नियमों का खुला उल्लंघन है। यह परिपाटी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के विपरीत है। इस स्वेच्छाचारिता की उच्चस्तरीय जांच कर राजकोष से राशि की प्रतिपूर्ति करना अत्यंत आवश्यक है।"**

सहकारी बैंकिंग के सांगठनिक ढांचे में स्वायत्तता और वित्तीय शुचिता सर्वोपरि सिद्धांत माने गए हैं, किंतु समकालीन प्रशासनिक परिदृश्य में इन सिद्धांतों का जिस प्रकार अवमूल्यन हो रहा है, वह अत्यंत चिंताजनक है। सहकारिता विभाग के अधीन संचालित और गंभीर संचित वित्तीय संकट से जूझ रहे केंद्रीय सहकारी बैंकों के संचित कोष से राजकीय अधिकारियों को नियम विरुद्ध तरीके से वेतन वितरित करने का हालिया प्रकरण नीतिगत विसंगति और प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता का एक ज्वलंत उदाहरण है। यह परिपाटी न केवल विधिक और विनियामक मानदंडों का खुला उल्लंघन है, अपितु सहकारी साख आंदोलन की मूल आत्मा पर भी कुठाराघात है। जब कोई वित्तीय संस्थान स्वायत्त और वाणिज्यिक श्रेणी में आता है, तो उसके संसाधनों का उपयोग राज्य के प्रशासनिक अमले के भरण-पोषण के लिए किया जाना किसी भी न्यायसंगत आर्थिक सिद्धांत के अनुकूल नहीं ठहराया जा सकता। इस पूरे प्रकरण में जो सबसे अधिक विस्मयकारी और विरोधाभासी तथ्य उभरकर सम्मुख आया है, वह है विभागीय विसंगति की पराकाष्ठा। एक ओर जहां संचित हानि का हवाला देकर इन बैंकों के मूल जमीनी कर्मचारियों के जायज वेतन समझौतों, आर्थिक एरियर और न्यायोचित लाभों को वर्षों से विधिक अवरोध खड़े करके रोका गया है, वहीं दूसरी ओर राज्य प्रशासनिक सेवा के नवनियुक्त अधिकारियों के प्रति असाधारण विनियामक शिथिलता बरती जा रही है। इन नवागंतुक अधिकारियों ने संबंधित केंद्रीय सहकारी बैंकों में अब तक कार्यभार तक ग्रहण नहीं किया है, फिर भी उन्हें इन घाटे में डूब रहे बैंकों से प्रति माह भारी-भरकम वेतन और भत्तों का अनैतिक भुगतान किया जा रहा है।

विडंबना यह भी है कि जिन अधिकारियों को कतिपय कारणों से 'पदस्थापन की प्रतीक्षा में' (एपीओ) रखकर सचिवालय या रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया जाता है, उन्हें भी उस अवधि का पूरा पारिश्रमिक उन्हीं बैंकों से आहरित कराया जा रहा है, जहां वे वर्तमान में कोई वास्तविक या प्रत्यक्ष सेवा नहीं दे रहे हैं। जब राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित इन अभ्यर्थियों को शासन स्वयं राजकीय सेवा का बाकायदा अधिकारी स्वीकार करता है, तो उनके पारिश्रमिक का आर्थिक भार विभागीय बजटीय प्रावधानों के बजाय इन स्वायत्त सहकारी संस्थाओं के संसाधनों पर डालना पूर्णतः अतार्किक है। यह दोहरा नीतिगत चरित्र तब और अधिक स्पष्ट हो जाता है जब लाखों रुपये वेतन पाने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को एपीओ रखकर, भारी वित्तीय संकट से जूझ रहे बैंकों के रिक्त पदों के विरुद्ध वेतन आहरण की निरंतर विधिक स्वीकृतियां जारी की जाती हैं। वार्षिक प्रतिवेदनों के आधिकारिक साक्ष्य दर्शाते हैं कि प्रदेश के केंद्रीय सहकारी बैंक वर्तमान में लगभग दो सौ पांच करोड़ रुपये की विशाल संचित वार्षिक हानि से ग्रसित हैं। ऐसी दयनीय और रुग्ण वित्तीय स्थिति के उपरांत भी विभाग द्वारा समय-समय पर मनमाने आदेश जारी कर नवनियुक्त सहायक रजिस्ट्रारों को विभिन्न बैंकों में 'अतिरिक्त अधिशाषी अधिकारी' जैसे रिक्त पदों पर प्रशासनिक रूप से समायोजित दिखाकर वहां से वेतन आहरण की खुली अनुमति प्रदान की गई। इसी परिपाटी के अंतर्गत, पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार स्तर के उच्चाधिकारियों को भी विभिन्न केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक एवं अतिरिक्त अधिशाषी अधिकारी के रिक्त कैडर पदों से निरंतर वेतन आहरित करने की स्वीकृतियां दी जाती रहीं, जिसने इन संस्थाओं की रीढ़ को और अधिक कमजोर कर दिया।

इस संपूर्ण प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण विधिक और नीतिगत अंतर्विरोध तब सार्वजनिक हुआ, जब विधायी सदन की दीर्घा में विभाग द्वारा लिखित रूप से यह स्वीकार किया गया कि 'केंद्रीय सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त वाणिज्यिक संस्थान हैं।' इस आधिकारिक स्वीकारोक्ति के बाद अब नीतिगत हलकों में यह यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया है कि जब ये बैंक पूर्णतः स्वायत्त, व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक निकाय हैं, जो आम जनता और कृषकों की गाढ़ी कमाई तथा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के कड़े विधिक नियमों पर संचालित होते हैं, तो राजकीय कैडर के इन अधिकारियों के पारिश्रमिक का आर्थिक भार इन घाटे में डूबे संस्थानों पर किस नियम के अंतर्गत अधिरोपित किया जा रहा है? बैंकिंग सिद्धांतों और विधिक विशेषज्ञों के मतानुसार, वाणिज्यिक बैंकों की पूंजी का उपयोग राजकीय अधिकारियों के वेतन प्रतिपूर्ति के लिए करना प्रत्यक्ष रूप से 'वित्तीय कदाचार' की परिधि में आता है।

कर्मचारी संगठनों और सहकारी साख आंदोलन से जुड़े हितधारकों का यह विरोध पूर्णतः तार्किक प्रतीत होता है कि जो बैंक पूर्व से ही करोड़ों रुपये के संचित घाटे के कारण वित्तीय रूप से वेंटिलेटर पर हैं, उनके रिक्त कैडर पदों का अनैतिक उपयोग कर सरकारी अधिकारियों को उपकृत करना पूरी तरह गैर-कानूनी और सेवा नियमों के विपरीत है। इस गंभीर विसंगति का एकमात्र तार्किक और विधिक समाधान यही हो सकता है कि इस संपूर्ण वेतन आहरण प्रकरण की उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए। इसके साथ ही, केंद्रीय सहकारी बैंकों के संचित कोष से इन अधिकारियों को अब तक भुगतान की गई वेतन की संपूर्ण राशि को अविलंब राजकीय कोष से प्रतिपूरित करवाकर पुनः बैंकों के खातों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

यह सहकारिता के मूल सिद्धांतों की घोर अवहेलना तथा प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता का एक अत्यंत निकृष्ट दृष्टांत है। जो वित्तीय संस्थान संचित घाटे के कारण अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके संचित कोष को विभागीय अधिकारियों के पारिश्रमिक हेतु 'दुधारू गाय' समझकर दुहना घोर वित्तीय कदाचार है। जिन नवागंतुकों ने संस्थान की देहरी तक नहीं लांघी, वे भी राजकोषीय बजटीय प्रावधानों के बजाय इन वाणिज्यिक निकायों के संसाधनों का अनैतिक शोषण कर रहे हैं। विधानसभा के पटल पर बैंकों को 'वाणिज्यिक' मानकर फिर यह विधिक विसंगति कारित करना तंत्र के अंतर्विरोध को उजागर करता है। यह परिपाटी न केवल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन है, अपितु कृषकों की जमा पूंजी के साथ विश्वासघात भी है। यदि विनियामक संस्थाएं जैसे नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक इस विनियामक विफलता पर मूकदर्शक बनी रहीं, तो आम जनता और कृषकों की जमा पूंजी का संरक्षण अत्यधिक संकट में पड़ जाएगा। समय रहते इस वित्तीय कदाचार को रोकना और सहकारी संस्थाओं की स्वायत्तता को बहाल करना ही सहकारी आंदोलन के अस्तित्व को बचाए रखने का एकमात्र मार्ग है।

**(यह लेखक के अपने विचार हैं)**

# प्रदेश में बढ़ाई जाएगी भंडारण क्षमता, 598 गोदामों के लिए सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय ने मांगे प्रस्ताव

**250, 500 व 100 मीट्रिक टन क्षमता के नए गोदामों के लिए प्रस्ताव ई-डाक से भेजने के निर्देश**

**मारवाड़ का मित्र नेटवर्क**
Www.marwadkamitra.in

**जयपुर ।** सहकारिता विभाग द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2026-27 के अंतर्गत भंडारण क्षमता बढ़ाने की घोषणा की पालना में अब जिलों को लक्ष्यों का आवंटन कर दिया गया है सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय द्वारा जारी पत्रानुसार, इस स्वीकृत योजना के तहत प्रदेश में भंडारण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नए गोदामों के निर्माण के साथ-साथ पुराने गोदामों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को गति दी जा रही है । विभाग का मुख्य उद्देश्य आगामी वर्ष 2047 तक राज्य की कुल भंडारण क्षमता को बढ़ाकर तीस लाख मीट्रिक टन तक पहुँचाना है । इसी निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब योग्य और पात्र सहकारी समितियों से ई-डाक के माध्यम से नए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं । इस विभागीय योजना के अंतर्गत संपूर्ण राज्य में ढाई सौ मीट्रिक टन तथा पांच सौ मीट्रिक टन की क्षमता वाले पचास-पचास नए गोदामों का निर्माण करवाया जाएगा । इस महत्वपूर्ण निर्माण कार्य पर सरकार द्वारा लगभग बीस करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी । इसके अतिरिक्त झालावाड़ जिले के गुराडिया माना, सरोद और लावासल सहित राज्य की कुल सौ ग्राम सेवा सहकारी समितियों में पहले से बने हुए सौ मीट्रिक टन क्षमता के जीर्ण-शीर्ण गोदामों का चारदिवारी के साथ पुनर्निर्माण किया जाएगा । इस पुराने और जर्जर गोदामों को पूरी तरह सुधारने के लिए पंद्रह करोड़ रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है, ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता के दायरे को बढ़ाते हुए बूंदी के ठीकरिया चारणान और झालावाड़ के गैलानी, सालरिया, बडाय, पाडलिया, चाडा एवं सुनारी सहित कुल दो सौ नवगठित सहकारी समितियों को भी इस योजना में शामिल किया गया है । इन सभी नई और गोदाम विहीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों में सौ मीट्रिक टन की क्षमता वाले नए गोदाम और कार्यालय भवनों का निर्माण सुरक्षित चारदिवारी के साथ करवाया जाएगा इस नवीन निर्माण कार्य को धरातल पर उतारने के लिए विभाग की ओर से कुल तीस करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी ।

### स्पर्श पोर्टल और भुगतान की नई व्यवस्था

इस संपूर्ण परियोजना के सुचारू संचालन और भुगतान के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना मद से सीधे 'स्पर्श पोर्टल' का उपयोग किया जाएगा । इस पोर्टल पर चूंकि अग्रिम राशि भेजने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए विभाग प्रत्येक जिले के संबंधित केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड को एक सहायक एजेंसी बनाकर पीएफएमएस पर मैप करवा रहा है । इस व्यवस्था के तहत बैंक को आवश्यक बजट आवंटित किया जाएगा, जिसके बाद जीएसएस या केवीएसएस के माध्यम से कार्य के रनिंग और अंतिम बिल सीधे संबंधित बैंक को भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे ।

### लक्ष्य 2047

**वर्ष 2047 तक राज्य की कुल भंडारण क्षमता को बढ़ाकर 30 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचना है।**

### योजना के मुख्य बिंदु

| | |
|---|---|
| 250 मीट्रिक टन क्षमता के 50 नए गोदाम | 10 करोड़ रूपये |
| 500 मीट्रिक टन क्षमता के 50 नए गोदाम | 10 करोड़ रूपये |
| 100 पुराने जर्जर गोदामों का चारदिवारी सहित पुनर्निर्माण | 15 करोड़ रूपये |
| 200 नवगठित समितियों में नए गोदाम व कार्यालय निर्माण | 30 करोड़ रूपये |

### पारदर्शिता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय

इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सहकारिता विभाग शासन सचिव के निर्देशों के अनुसार सभी जिलों के लिए कुल 598 गोदामों का जिलावार लक्ष्य तय कर दिया गया है । जहां 500 मीट्रिक टन के नए गोदामों के लिए 1500 वर्ग मीटर और 250 मीट्रिक टन के लिए 812.50 वर्ग मीटर की वैध भूमि होना आवश्यक है, वहीं 100 मीट्रिक टन गोदामों के लिए कम से कम 160 वर्ग गज जमीन की उपलब्धता अनिवार्य की गई है । सभी संबंधित उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियां और सीसीबी प्रबंध निदेशकों को यह कड़ा निर्देश दिया गया है कि वे जमीन के वैध दस्तावेजों और मौका-मुआयना की रिपोर्ट का स्वयं के स्तर पर सही परीक्षण करने के बाद ही अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ इन प्रस्तावों को भिजवाएं क्योंकि भविष्य में किसी भी अपात्र समिति का चयन होने या विवाद होने पर संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी ।

## राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चना खरीद की अवधि 24 जून तक बढ़ी, किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ

**मारवाड़ का मित्र नेटवर्क**
Www.marwadkamitra.in

**नई दिल्ली।** राजस्थान के किसानों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग) ने राज्य में रबी सत्र 2026 के तहत मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत चल रही चना और सरसों की सरकारी खरीद की अवधि को बढ़ा दिया है। भारत सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, अब राज्य के किसान 24 जून 2026 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेच सकेंगे। इससे पहले, भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के तहत राजस्थान में सरसों और चना खरीद के लिए 60 दिनों की अवधि निर्धारित की गई थी, जो दिनांक 25 मई 2026 को समाप्त हो रही थी। राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा किए गए विशेष प्रयासों और पत्र के माध्यम से किए गए अनुरोध के बाद केंद्रीय सक्षम प्राधिकारी ने इस खरीद अवधि को आगामी 30 दिनों के लिए और बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से उन किसानों को बड़ी राहत मिलेगी जो अब तक अपनी फसल नहीं बेच पाए थे, और उन्हें बाजार भाव के बजाय सरकार द्वारा निर्धारित लाभकारी समर्थन मूल्य पर अपनी जिंस बेचने का अतिरिक्त मौका मिल जाएगा। साथ ही वर्तमान में पंजीकरण की सीमा भी बढ़ा दी गई है, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। उप-सचिव रचना कुमार द्वारा जारी इस आदेश के तहत केंद्रीय नोडल एजेंसियों (नेफेड और एनसीसीएफ) को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बढ़ाई गई अवधि के दौरान केवल पूर्व-पंजीकृत किसानों से ही चने की फेयर एवरेज क्वालिटी (यानी औसत अच्छी गुणवत्ता) वाली उपज की खरीद सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही यह भी साफ किया गया है कि खरीद की कुल मात्रा पूर्व में स्वीकृत सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसके तहत राज्य में 5,53,000 मीट्रिक टन चना और 13,78,750 मीट्रिक टन सरसों की खरीद को मंजूरी मिली हुई है। इस अवधि विस्तार के अलावा पूर्व में 25 फरवरी 2026 को जारी किए गए पत्र की अन्य सभी नियम और शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

मारवाड़ का मित्र
हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र

यदि आपको अपने क्षेत्र से लगाव है तो कृपया मारवाड़ का मित्र हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र के लिए मारवाड़ अंचल के विभिन्न धार्मिक, ऐतिहासिक कला, संस्कृति आदि अन्य सामाजिक, शैक्षणिक, व्यवसायिक स्थलों पर लेख, कथा, कहानी, विवरण आदि हमें अवश्य प्रकाशनार्थ भेजवाने। प्रकाशन सामग्री के साथ संबंधित स्थल का फोटो भी एवं आपका फोटो भी अवश्य भेजवाएं ।
-संपादक

**घर बैठे मारवाड़ का मित्र मंगाने के लिए भर कर भेजें**

**सदस्यता फॉर्म**

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक मारवाड़ आंचल का प्रमुख पाक्षिक समाचार पत्र हैं । समाचार पत्र में कृषि पशुपालन, सहकारिता, ग्रामीण विकास से जुड़ी अहम खबरों का प्रकाशन कर पाठकों तक अखबार की प्रति प्रेषण कर रहा है। मारवाड़ का मित्र समय-समय पर भिन्न-भिन्न विषयों पर विशेषांक का प्रकाशन भी करता है तथा अपने ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भेजता है । अतः मुझे / हमें भी अंग्राकित पते पर मारवाड़ का मित्र समाचार पत्र की प्रति डाक द्वारा भेजें ।

**सदस्यता राशि**

☐ एक वर्ष रु. 500/- ☐ दो वर्ष रु. 1000/- ☐ तीन वर्ष रु. 1500/- ☐ छह वर्ष रु. 3000/-

डाक से नियमित रूप से इस पते पर मारवाड़ का मित्र भेजने के लिए DD / मनीआर्डर मारवाड़ का मित्र के नाम भेज रहा हूं ।

नाम / संस्था का नाम.....
ग्राम..... पोस्ट.....
तहसील..... जिला.....
फोन..... पिन कोड.....
राशि (रुपए) ..... बैंक का नाम.....

अगर आप किसी कारण से भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भेजें. अगर आप सीधे बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं तो Marwadkamitra@gmail.com पर अपना पूरा नाम, फोन नंबर, भुगतान की राशि और Transaction id हमें मेल करें ताकि हम आपका व्यक्तिगत तौर पर आभार प्रकट कर सकें.

Bank Account Details :
Name: Marwad ka Mitra
A/C No.: 11134027554
IFSC Code: RMGB0000134
Google / Phonepay 9602473302

सदस्यता हेतु → Mo. 9602473302, Marwadkamitra.in

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र

संपादकीय/व्यवस्थापक कार्यालय - वैष्णव फार्म परावा, तहसील-चितलवाना जिला-जालोर 343041

# सहकारी समितियों के माध्यम से ही बंटेगी खाद, कालाबाजारी और नकली उर्वरकों पर लगेगी रोक

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

**जयपुर,** में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में राजस्थान के सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने इफको और कृभको के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि राज्य में यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों का वितरण अब पूरी तरह से केवल सरकारी और ग्राम सेवा सहकारी समितियों के जरिए ही किया जाएगा। खाद की कालाबाजारी को पूरी तरह रोकने के लिए निजी डीलरों के माध्यम से होने वाले वितरण पर प्रभावी रोक लगाई जाएगी। मंत्री ने साफ किया कि जिन क्षेत्रों या ब्लॉकों में अभी सहकारी समितियों के जरिए खाद नहीं पहुंच पा रही है, वहां वितरण व्यवस्था को जल्द ही मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही डूंगरपुर और बांसवाड़ा

जैसे क्षेत्रों में भी खाद की रैक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि दूर-दराज के किसानों को कोई परेशानी न हो। बाजार में मिलने वाली नकली खाद पर नकेल कसने के लिए सहकारिता मंत्री ने आदेश दिया है कि सहकारी समितियों के गोदामों में केवल इफको और कृभको जैसी चुनिंदा प्रामाणिक कंपनियों की खाद ही बेची जाए। नियमों का पालन सख्ती से कराने के लिए विभाग के अधिकारियों और निरीक्षकों को गोदामों का नियमित निरीक्षण करने और सबूत के तौर पर वहां के फोटोग्राफ्स भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में सहकारिता विभाग के शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां डॉ. समित शर्मा सहित कृषि, राजफेड, इफको और कृभको के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

## नैनो यूरिया के लिए न बनाया जाए दबाव

किसानों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए मंत्री ने कहा कि फिलहाल किसान नैनो यूरिया या नैनो उर्वरकों के इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। इसलिए उन पर इसे जबरन खरीदने का दबाव न बनाया जाए, बल्कि पहले उन्हें जागरूक किया जाए। इसके अलावा, व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए राजस्थान के अधिकारी मध्य प्रदेश की सहकारी संस्था 'मार्कफेड' के काम करने के तरीके का अध्ययन करने वहां जाएंगे। बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आगामी सीजन के लिए केंद्र सरकार से जरूरी खाद का आवंटन मिल चुका है। साथ ही किसानों को एक ही जगह पर खाद, बीज और कीटनाशक आसानी से मिल सकें, इसके लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) को 'प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र' के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके तहत व्यवस्थापकों के लाइसेंस से जुड़ी प्रक्रियाओं को भी आसान कर दिया गया है ताकि काम में तेजी आ सके।

# सहकारी बैंकों के अध्यक्ष और डायरेक्टरों को कर्ज देने के लिए नहीं बदली जाएगी व्यवस्था

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

**जयपुर ।** सहकारिता विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश के केंद्रीय सहकारी बैंकों में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 20 को बदलने या पुरानी व्यवस्था को पुनः लागू करने का सरकार का कोई विचार नहीं है। विभाग ने इसके पीछे का कारण बताते हुए कहा कि इस अधिनियम की धारा को बदलने की कार्यवाही राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र (क्षेत्राधिकार) में नहीं आती है, जिसके चलते विभाग स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है यह जानकारी सहकारिता विभाग के संयुक्त शासन सचिव प्रहलाद सहाय नागा द्वारा विधानसभा सदस्य श्रीचन्द कृपलानी द्वारा पूछे गए एक तारांकित प्रश्न के लिखित जवाब में दी गई है | विधायक श्रीचन्द कृपलानी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि प्रदेश के सभी केंद्रीय सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के तहत कार्य करते हैं। इसी वजह से इन बैंकों में बीआर एक्ट, 1949 की धारा 20 को लागू किया गया है। गौरतलब है कि इस धारा के तहत सहकारी बैंकों के अध्यक्षों, डायरेक्टरों और उनके परिजनों को ऋण (लोन) सुविधा उपलब्ध कराने पर कड़े प्रतिबंध रहते हैं सरकार द्वारा सदन की मेज दिए गए विवरण के अनुसार, प्रदेश के अलग-अलग केंद्रीय सहकारी बैंकों में निर्वाचित अध्यक्षों और डायरेक्टरों को केवल बोर्ड की बैठकों में शामिल

**वर्तमान में जिन बैंको में निर्वाचित बोर्ड नहीं है और प्रशासक कार्यरत हैं, उन्हें विभागीय नियमानुसार मूल वेतन का 10 प्रतिशत या अधिकतम ₹8,000 प्रति माह तक का प्रशासकीय भत्ता दिया जा रहा है।**

होने के लिए निर्धारित 'सिटिंग फीस' (बैठक शुल्क) दी जाती है। कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ राजस्थान के नियमों के मुताबिक यह सिटिंग फीस 1100 रुपए प्रति बैठक निर्धारित है। इसके अलावा इन्हें कोई मासिक वेतन या अन्य बड़े भत्ते देय नहीं हैं। जोधपुर केंद्रीय सहकारी बैंक जैसे कुछ बैंकों में बैठक शुल्क के साथ-साथ यात्रा भत्ता भी दिया जाता रहा है रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि राजस्थान के अधिकांश केंद्रीय सहकारी बैंकों में लंबे समय से निर्वाचित संचालक मंडल (बोर्ड) अस्तित्व में ही नहीं है। अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, दौसा, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, कोटा, नागौर, सीकर, श्रीगंगानगर, टोंक और उदयपुर जैसे जिलों के केंद्रीय सहकारी बैंकों में 'प्रशासक' अक्सर जिला कलेक्टर या विभागीय अधिकारी) नियुक्त हैं | जबकि बांसवाड़ा, बारां, जयपुर, सीकर और जैसलमेर जैसे सीसीबी बैंकों में तो साल 2014 से ही निर्वाचित बोर्ड कार्यरत नहीं है और तब से ही प्रशासक व्यवस्था संभाल रहे हैं

# 'परिंडा बांधो अभियान' के तहत सहकार नेता आमेरा ने सांगानेर और चाकसू में बांधे परिंडे

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

**जयपुर ।** वर्तमान में प्रचंड नौतपा के हाहाकार और तीक्ष्ण संताप से व्याकुल बेजुबान पक्षियों को संबल प्रदान करने के क्रम में सहकारिता विभाग द्वारा एक अत्यंत श्लाघनीय एवं मानवीय संवेदनाओं से ओत-प्रोत पुनीत पहल का सूत्रपात किया गया है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक की प्रेरणा से संचालित 'परिंडा बांधो अभियान' को धरातल पर क्रियान्वित करने और इसे व्यापक जन-आंदोलन का स्वरूप देने के महती उद्देश्य के साथ सहकार नेता सूरजभान सिंह आमेरा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर एवं चाकसू का सघन दौरा किया।इस भगीरथ प्रयास के अंतर्गत आमेरा ने जयपुर केंद्रीय सहकारी बैंक की सांगानेर शाखा, सांगानेर पैक्स-मिनी बैंक तथा चाकसू सहकारी समिति परिसर का सघन अवलोकन किया। उन्होंने संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों, वित्तीय संस्थाओं के कर्मठ कार्मिकों एवं प्रबंधन तंत्र के सम्मानित सदस्यों के साथ सामूहिक सहभागिता निभाते हुए छायादार पादपों पर मूक पक्षियों के अन्न-जल हेतु मृदा-पात्र (परिंडे) प्रस्थापित किए। इस अवसर पर उन्होंने जन-साधारण से इस पुनीत अनुष्ठान में महती आहुति देने का ओजस्वी आह्वान किया।

## गणमान्य जन बने पुण्य के साक्षी

इस संवेदनशील और लोकोपकारी महायज्ञ में सहकारिता जगत की अनेक लब्धप्रतिष्ठ विभूतियों ने अपनी सक्रिय सहभागिता दर्ज कराई। इनमें मुख्य रूप से चाकसू सहकारी समिति के अध्यक्ष शंकर लाल शर्मा, उपाध्यक्ष फकरूद्दीन खा, निदेशक हनुमान पण्डा एवं भँवर लाल बैरवा सहित शाखा प्रबंधक हेमन्त वर्मा, हरकेश हुड़ला, शंकर सिंह नरुका, मनीष गंगवार, छोटेलाल गुर्जर, अभिषेक सिंघवी, फ़तेहसिंह, गणेशनारायण जाट, पप्पू लाल सैनी, रोडूमल चौधरी, कमलेश जाट और देवेन्द्र सिंह ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा को संवर्धित किया। इसके अतिरिक्त चाकसू एवं सांगानेर समिति के प्रबंधकीय व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक, बैंकिंग संवर्ग के अधिकारीगण, सम्मानित सदस्य तथा संचालक मंडल के प्रबुद्ध जन इस पारमार्थिक कार्य के साक्षात साक्षी बने।

उल्लेखनीय है कि सहकारिता मंत्री के संरक्षण में गतिमान इस कल्याणकारी अभियान के तहत संपूर्ण राज्य के सहकारिता कार्यालयों, शीर्ष व केंद्रीय सहकारी अधिष्ठानों, वाणिज्यिक सहकारी बैंक शाखाओं, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों तथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के प्रांगणों, छतों एवं प्रशीतित स्थलों पर मिट्टी के जल-पात्र निरंतर संयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही विहंगों के लिए दैनिक रूप से खाद्यान्न (चुग्गे) की अनवरत उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। इसी शृंखला में चाकसू सरोवर पाल पर स्थित संकटमोचन हनुमान मंदिर परिसर में भी परिंडे बांधकर पक्षी संरक्षण का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के यूनियन संयोजक शंकर सिंह नरुका के अनुसार, इस अनुकरणीय पहल के उपरांत मंदिर प्रांगण में एक वैचारिक गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें सहकार जगत के अप्रतिम सारथी सूरज भान सिंह आमेरा का साफ़ा आवेष्टित कर और माल्यार्पण कर भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया।

# दुर्घटना बीमा योजना के तहत हस्तगत किया 10 लाख का क्लेम चेक

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

**बाड़मेर,** सेन्ट्रल को ऑपरेटिव बैंक की बाटाडू शाखा में राज्य सरकार की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत एक मृतका के वारिस को 10 लाख रुपए का क्लेम चेक सुपुर्द किया गया। राज्य सरकार की दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत फसली सहकारी ऋण प्राप्त करने वाले सभी ऋणी सदस्यों का अनिवार्य रूप से बीमा किया जाता है, ताकि किसी अप्रिय घटना की स्थिति में दुर्घटनाग्रस्त ऋणी सदस्य के परिवार को 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता क्लेम के रूप में प्रदान की जा सके। बाटाडू शाखा प्रबंधक हितेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि भाडखा ग्राम सेवा सहकारी समिति के ऋणी सदस्य पांची देवी की वर्ष 2024 में एक दर्दनाक आगजनी दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके बाद उनके परिवार को आर्थिक संबल देने के लिए क्लेम की प्रक्रिया पूरी की गई। सरकार द्वारा स्वीकृत 10 लाख रुपए की यह क्लेम राशि मृतका के पुत्र वीराराम के नाम जारी की गई, जिसका चेक सोमवार को बैंक शाखा में परिजनों को सौंपा गया। चेक सुपुर्दगी के इस भावुक अवसर पर बैंक प्रबंधन और स्थानीय सहकारी समितियों के कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान बैंकिंग सहायक सुरेंद्र सिंह, ऋण पर्यवेक्षक शेराराम भाटिया, व्यवस्थापक मेघराज, पूनमाराम गोदारा, विशनाराम जांगिड़ और स्वरुपसिंह सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

# पैक्स कंप्यूटरीकरण में तकनीकी खामियों को लेकर सहकारिता विभाग शासन सचिव को सौंपा ज्ञापन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

**जयपुर ।** राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन के महामंत्री देवेन्द्र कुमार सैदावत के नेतृत्व में पैक्स कम्प्यूटराईजेशन परियोजना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर आ रही गंभीर तकनीकी और व्यावहारिक समस्याओं के निराकरण के संबंध में आज सहकारिता विभाग के शासन सचिव को एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा गया । यह ज्ञापन सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा के साथ-साथ अमित शाह केंद्रीय सहकारिता मंत्री, आशीष भूटानी, केंद्रीय सहकारिता सचिव, गौतम कुमार दक सहकारिता राज्य मंत्री - स्वतंत्र प्रभार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नाबार्ड, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर, प्रबंध निदेशक, राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक, प्रबंध निदेशक केंद्रीय सहकारी बैंक (CCB) को भी भेजा गया है, महामंत्री देवेन्द्र कुमार सैदावत का कहना है कि वे प्रधानमंत्री के 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प और सहकारिता मंत्रालय की इस आधुनिकीकरण योजना का पूर्ण समर्थन करते हैं । संगठन इसे सहकारिता के सुदृढ़ीकरण में एक ऐतिहासिक और दूरगामी कदम मानता है । राज्य सहकारी बैंक के निर्देशों के क्रम में सभी समिति कार्मिक ERP सॉफ्टवेयर पर दैनिक कार्य एवं डायनेमिक डे-एंड सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं । परंतु, वर्तमान में सॉफ्टवेयर के संचालन में आ रही विसंगतियों के कारण पैक्स कार्मिकों को दैनिक वाउचर प्रविष्टि (पोस्टिंग) और दिवस-अंत (डे-एंड) का कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने में भारी व्यावहारिक और तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । इस ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों की महत्वपूर्ण नीतिगत और व्यावहारिक मांगों को त्वरित संज्ञान और स्थायी निस्तारण हेतु प्रस्तुत किया गया है ।

## प्रशिक्षण और बुनियादी संसाधनों का अभाव

सभी समिति कार्मिकों (व्यवस्थापकों एवं सहायक स्टाफ) को ई.आर.पी. सॉफ्टवेयर का विधिवत व व्यावहारिक प्रशिक्षण नहीं मिलने से वास्तविक समय (लाइव) में त्रुटिरहित डेटा प्रविष्टि करना बेहद मुश्किल हो रहा है, इसलिए पैक्स मुख्यालय स्तर पर ही प्रशिक्षण आयोजित कराने की मांग की गई है । इसके साथ ही, सहकारी बैंकों और पैक्स के मध्य एफ.आई.जी. एकीकरण में गंभीर तकनीकी खामियों के कारण सॉफ्टवेयर में स्वतः 'दोहरी प्रविष्टि' (डबल एंट्री) हो रही है और पैक्स के पास ऋण स्वीकृति व डी.एम.आर. जैसी महत्वपूर्ण रिपोर्ट देखने या डाउनलोड करने का अधिकार न होने से कार्मिक आज भी मजबूरन सारा काम मैनुअल (कागजी तौर पर) कर रहे हैं । सॉफ्टवेयर की त्रुटियों के चलते पुराना खाता बंद किए बिना ही नया खाता खुल जाने से ऑडिट और वित्तीय रिकॉर्ड बिगड़ने का खतरा बना हुआ है, जिसे प्रणाली समाकलक के माध्यम से तुरंत ठीक कराया जाना जरूरी है । इसके अतिरिक्त, अनुबंधित प्रदाता कंपनी (वेंडर) के पास फील्ड में तकनीकी कर्मचारियों की भारी कमी है और वे जमीनी स्तर पर कोई सहयोग नहीं दे रहे हैं, जो निविदा शर्तों का सीधा उल्लंघन है । वहीं, राज्य की कई स्वीकृत समितियों में अभी तक आवश्यक हार्डवेयर और बुनियादी ढांचागत उपकरण भी पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जिसके बिना कार्य को निर्धारित समय में पूरा करना संभव नहीं है

## सहानुभूतिपूर्वक सकारात्मक निर्णय की उम्मीद

अंत में, प्रांतीय अध्यक्ष हनुमानसिंह राजावत और उपाध्यक्ष रामसिंह डूंमरा की ओर से शीर्ष स्तर से यह करबद्ध अनुरोध किया गया है कि जब तक कर्मचारियों को पूर्ण प्रशिक्षण, आवश्यक ढांचागत संसाधन, तकनीकी अधिकार और त्रुटिरहित सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा वेतन रोकने जैसी किसी भी एकतरफा और दंडात्मक कार्रवाई पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने हेतु निर्देशित किया जाए । प्रदेश के सभी व्यवस्थापक और कार्मिक पूरी निष्ठा से काम करने के लिए तैयार और प्रतिबद्ध हैं, बशर्ते उन्हें आवश्यक संसाधन, तकनीकी अधिकार और एक पारदर्शी, त्रुटिरहित तकनीकी माहौल उपलब्ध कराया जाए ।

## वेतन रोकने के 'नियम विरुद्ध' आदेश का कड़ा विरोध

इन तमाम ढांचागत और तकनीकी कमियों के बीच राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा जारी उस आदेश का कड़ा विरोध किया गया है, जिसमें 01 जुलाई 2026 से दिवस-अंत (डे-एंड) न होने पर वेतन रोकने या अनुपातिक भुगतान की बात कही गई है । यूनियन ने सवाल उठाया कि सहकारिता नियमों के तहत व्यवस्थापक का नियोक्ता संबंधित पैक्स समिति (अध्यक्ष) होता है, ना कि बैंक । इसलिए बैंक स्तर से सीधे वेतन रोकने या अनुपातिक भुगतान का आदेश पूरी तरह से नियम विरुद्ध और उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है । कार्मिकों पर किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई या वेतन कटौती से पूर्व इन तकनीकी और ढांचागत समस्याओं का स्थायी समाधान शीर्ष स्तर से करवाया जाना न्यायसंगत होगा । यूनियन ने विशेष रूप से निवेदन किया है कि राजस्थान में लागू इस विसंगतिपूर्ण FIG पोर्टल व्यवस्था को या तो पूर्णतः बंद करवाया जाए अथवा इसमें व्यापक सुधार करते हुए पैक्स स्तर से ही DMR जनरेट करने की सुविधा और GRA के लिए मैनुअल व्यवस्था का विकल्प प्रदान किया जाए ।

# "सहकारिता में सहकार" विषय पर उदयपुर सीसीबी में कार्यशाला का आयोजन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

**उदयपुर,** सेन्ट्रल को ऑपरेटिव बैंक के प्रधान कार्यालय में भारत सरकार की 'सहकार से समृद्धि' पहल के तहत 'सहकारिता में सहकार' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त रजिस्ट्रार गुंजन चौबे ने की और मुख्य अतिथि नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक नीरज यादव रहे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सक्षम प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों को 'बैंक मित्र' बनाना और उन्हें माइक्रो एटीएम प्रदान करना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों तक वित्तीय सेवाएं आसानी से पहुंच सकें। उप रजिस्ट्रार लोकेश जोशी ने बताया कि यह योजना सहकारी समितियों को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने और सामाजिक विकास को मजबूत करने का काम करती है। बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक वैभव गौड ने इस अभियान की पृष्ठभूमि और मानक संचालन प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि नीरज यादव ने जानकारी दी कि नाबार्ड अपनी वित्तीय समावेशन योजना के तहत केंद्रीय सहकारी बैंकों को 90 प्रतिशत अनुदान पर माइक्रो एटीएम उपलब्ध करवा रहा है। बैंक के कंप्यूटर प्रोग्रामर हितेश पांचाल ने बताया कि बैंक अब तक 179 सहकारी समितियों को माइक्रो एटीएम वितरित कर चुका है, जिनमें 95 डेयरी समितियां शामिल हैं। साथ ही, 100 और नए माइक्रो एटीएम खरीदने का प्रस्ताव नाबार्ड को भेजा गया है। इस अवसर पर उदयपुर डेयरी की वीणा खंडेलवाल ने बैंक में खाते खोलने और सचिवों को बैंक मित्र बनाने का आश्वासन दिया। गुंजन चौबे ने सभी को पूरी निष्ठा के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यशाला में चुनिंदा डेयरी समितियों को माइक्रो एटीएम और किसानों को एटीएम कार्ड भी बांटे गए। इस आयोजन में उदयपुर, सलुंबर और राजसमंद जिलों के 70 से अधिक डेयरी सचिवों और बैंक के आला अधिकारियों ने भाग लिया। अंत में बैंक के प्रबंध निदेशक आशुतोष भट्ट ने सभी का आभार व्यक्त किया।

मारवाड़ का मित्र
हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र
सांचौर (जिला-जालोर) सोमवार , 1 जून, 2026
4
RNI Reg. No - RAJHIN/2003/10136
MSME Reg. - UDYAM-RJ-19-0033346

# सरकारी कागजों में छाया-पानी, पर साहब की कुर्सी पर अकाल: सहकारी संस्थाओं में अतिरिक्त प्रभार का खेल

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

**जोधपुर।** प्रदेश सरकार और शासन सचिव के स्तर से सहकारी समितियों को सख्त हिदायत जारी होती है कि दफ्तर आने वाले किसानों, उपभोक्ताओं और आमजन के लिए 'स्वच्छ, शीतल पेयजल और छायादार विश्राम स्थल' की उत्तम व्यवस्था की जाए। मंशा नेक है और मानवीय संवेदनाओं से भरपूर है। लेकिन हुजूर, जनता छाया-पानी तो तब पिएगी जब दफ्तर में कोई पिलाने वाला या सुनने वाला मौजूद होगा। जमीनी हकीकत यह है कि प्रदेश, और विशेषकर जोधपुर खंड की सहकारी संस्थाओं में आम जनता पानी के लिए नहीं, बल्कि साहब के दीदार के लिए तरस रही है। जोधपुर खंड की प्राइमरी (पैक्स-लैम्पस) से लेकर ब्लॉक और जिला स्तरीय सहकारी संस्थाओं का हाल यह है कि निचले स्तर के छोटे कार्मिक तो जैसे-तैसे दफ्तर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं, लेकिन मुख्य कार्यपालक व्यवस्थापक, जिला स्तरीय संस्थाओं के महाप्रबंधक और सचिव की कुर्सियां अमूमन सूनी ही नजर आती हैं। कार्यालय समय में इन खाली कुर्सियों को देखकर जब भी कोई पीड़ित किसान या आम नागरिक सवाल पूछता है, तो दफ्तर से एक ही रटा-रटाया और फैशनेबल जवाब मिलता है—"साहब बाहर हैं, उनके पास वहां का अतिरिक्त कार्यभार है...!" यह 'अतिरिक्त प्रभार' वाली शब्दावली अब व्यवस्था की नाकामी को छिपाने की सबसे बड़ी ढाल बन चुकी है।

## एक मैनेजर, चार सोसायटियां 'ऑन ड्यूटी' घूमने का खेल

*ग्रामीण और ब्लॉक स्तर पर रीढ़ मानी जाने वाली पैक्स और लैम्पस की हालत तो और भी निराली है। यहां एक-एक व्यवस्थापक (मैनेजर) के पास तीन से चार सोसायटियों का प्रभार सौंप दिया गया है। नतीजा? यह प्रभार आमजन की सहूलियत के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्थापकों के लिए एक बेहतरीन बहाना बन चुका है। जब किसान अपनी खाद, बीज या लोन के काम से पहुंचता है, तो जवाब मिलता है—"मैनेजर साहब आज दूसरी वाली सोसायटी में हैं।" मजेदार बात यह है कि जब दूसरी सोसायटी में पता करो, तो मालूम चलता है कि मैनेजर साहब जिला स्तरीय कार्यालय, ब्लॉक स्तर या फिर केंद्रीय सहकारी बैंक की मुख्य शाखा के चक्कर काटते हुए 'डोलते' नजर आ रहे हैं। काम कहीं नहीं होता, बस साहब 'ऑन ड्यूटी' घूम रहे होते हैं। हद तो तब हो जाती है जब कोई परेशान नागरिक अपनी पीड़ा और इन अव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाता है। व्यवस्थापकों का रवैया जन-सेवादारी का नहीं, बल्कि जमींदारी जैसा नजर आता है। ज्यादा टोकने या शिकायत की बात करने पर सीधा और टका सा जवाब मिलता है। वे कहते फिरते हैं—"हम सरकार के पक्के कर्मचारी थोड़े ही हैं! हम तो सोसायटी के हैं, बोर्ड हमारा बनाया हुआ है। आपको जो करना है, वो कर लीजिए, जहां जाना है, वहां जाइए!" यह तेवर साफ बताते हैं कि पैक्स-लैम्पस में व्यवस्थापक पदों पर बैठे लोगों को न तो शासन सचिव के आदेशों का डर है और न ही आम जनता की सहूलियत से कोई सरोकार।*

## शाखा के भीतर सन्नाटा, बाहर बीसी की धूम

सहकारिता के इस अजूबे नेटवर्क का एक जीवंत उदाहरण सीमावर्ती जिले बाड़मेर में देखने को मिलता है। यहां केंद्रीय सहकारी बैंक की एक ऐसी शाखा है, जिसके आसपास बैंक का बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट (बीसी) सक्रिय है। विडंबना देखिए कि बैंक की मुख्य शाखा से जो काम आम जनता का होना चाहिए, वह सारा काम बाहर बैठा बीसी चुटकियों में कर रहा है और मुख्य शाखा के भीतर सन्नाटा पसरा रहता है। ऐसे में आमजन और जानकारों का तीखा सवाल है कि जब जनता को सारी सुविधाएं बीसी के माध्यम से ही मिल रही हैं, तो इस सफेद हाथी जैसी बैंक शाखा को खुला रखकर बैंक का बजट क्यों फूंका जा रहा है? इस पर तो ताला ही जड़ देना चाहिए!

## फाइलों में 'वर्ल्ड क्लास' व्यवस्था, धरातल पर जांच के नाम पर सिर्फ 'खानापूर्ति'

**जोधपुर।** राजस्थान का सहकारिता विभाग इन दिनों केवल बैठकों, कागजी घोड़ों और दावों तक ही सिमट कर रह गया है। विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकों में बैठकर हर तीसरे दिन सूचना तंत्र के माध्यम से बड़ी-बड़ी डींगें हांकने वाले अफसरों की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। धरातल पर स्थिति यह है कि गंभीर अनियमितताओं की शिकायतों पर भी साल-साल भर तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती और परिवादी न्याय के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं मामला जोधपुर खंड के सहकारिता विभाग अतिरिक्त रजिस्ट्रार कार्यालय से जुड़ा है। गौरतलब है कि सहकारी साख आंदोलन से सुत्रो द्वारा दिनांक 17.05.2025 को पाली जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापक पद पर कार्यरत कार्मिकों की नियुक्ति एवं वेतन आहरण में भारी अनियमितताओं को लेकर एक पत्र दिया गया था इस पत्र पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार कार्यालय, जोधपुर खंड द्वारा दिनांक 11.06.2025 को प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, पाली को पत्र जारी कर '7 दिवस' में जांच रिपोर्ट मय औचित्यपूर्ण टिप्पणी के साथ तलब की गई थी लेकिन बड़ा सवाल है कि जिस जांच को "7 दिनों" के भीतर आवश्यक रूप से पूरा करने का आदेश जारी हुआ था, आज एक साल बीत जाने के बाद भी वह विभागीय स्तर पर पूरी नहीं हो पाई है। आखिर यह जांच फाइलों के किस कोने में धूल फांक रही है?

### IYC लोगो चमका, पर नीयत धुंधली

विभाग के पत्रों पर "Cooperatives Build a Better World" (सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है) जैसे स्लोगन तो बड़े चाव से छापे जाते हैं, लेकिन असल दुनिया में परिवादी अपनी ही दी गई परिवेदना की निष्पक्ष जांच रिपोर्ट का इंतजार करते-करते थक चुके हैं। सहकारिता विभाग के जोधपुर अतिरिक्त रजिस्ट्रार कार्यालय से लेकर खण्ड के अधिकांश सहायक / उप रजिस्ट्रार कार्यालय तक अनियमितताओं की शिकायतों पर जांच के नाम पर महज 'खानापूर्ति' का खेल खेला जा रहा है वही सहकारी समितियों में नियुक्तियों और वेतन आहरण जैसे गंभीर मामलों में हो रही यह देरी साफ इशारा करती है कि या तो तंत्र पूरी तरह से लापरवाह हो चुका है या फिर दोषियों को बचाने का मूक प्रयास चल रहा है। हर तीसरे दिन मीडिया में बड़ी-बड़ी उपलब्धियां गिनाने वाला सहकारिता विभाग इस कछुआ चाल पर पूरी तरह मौन है।

## हाईकोर्ट का निर्देश नियमों के तहत ही करें नई सहकारी समिति का गठन या विभाजन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

**जोधपुर ।** राजस्थान उच्च न्यायालय ने सामराऊ, एकलखोरी, नांदिया कलां सहित तीन अन्य ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्षों द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सहकारिता विभाग को निर्देश दिए हैं कि वह किसी भी नई ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन अथवा विभाजन सहकारी नियमों के अनुसार ही करे। इस मामले में दोनों पक्षों की सहमति के बाद न्यायालय ने इस याचिका को पूरी तरह से निस्तारित कर दिया है। इस मामले में सहकारिता विभाग शासन सचिव, सहकारिता विभाग पंजीयक सहित उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जोधपुर को प्रतिवादी बनाया गया था। इन समितियों की मुख्य चिंता यह थी कि सरकार उनके कार्यक्षेत्र का विभाजन करके किसी नई सहकारी समिति का गठन करने की योजना बना रही थी। समितियों का स्पष्ट कहना था कि विभाग ने उन्हें अपनी बात रखने का कोई उचित अवसर नहीं दिया, जो कि स्थापित नियमों के खिलाफ है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता डॉ. अशोक चौधरी और सरकारी पक्ष के अधिवक्ता अर्पित समरिया ने न्यायाधीश के सामने एक पुराना संदर्भ रखा। दोनों ही पक्षों ने आपसी सहमति से यह स्वीकार किया कि ऐसा ही एक मिलता-जुलता मामला साल 2023 में '22 ए ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड' के नाम से भी आया था, जिसका फैसला उच्च न्यायालय ने 29 मई 2023 को किया था। उस पुराने मामले में भी विभाग को सख्त निर्देश दिए गए थे कि वे जब भी किसी नई समिति का गठन करें, तो राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 13 और नियम 2003 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें। हाईकोर्ट जस्टिस मुकेश राजपुरोहित ने इस पूरे मामले को गंभीरता से समझा और दोनों पक्षों के वकीलों की आपसी सहमति को ध्यान में रखते हुए अपना अंतिम निर्णय सुनाया। उन्होंने सहकारिता विभाग को आदेश दिया है कि भविष्य में अगर इन समितियों के क्षेत्र में कोई भी नया बदलाव या गठन किया जाता है, तो वह पूरी तरह से कानूनी नियमों के दायरे में रहकर ही किया जाए। इस अंतिम आदेश के साथ ही हाईकोर्ट ने मुख्य रिट याचिका और उसके साथ लगे स्थगन को भी निस्तारित कर दिया है।

## पाली को-ऑपरेटिव बैंक ने पैक्स में हलधर समिति के प्रोम खाद की खरीद बिक्री की मांगी पूरी रिपोर्ट

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

**पाली ।** पाली सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में हलधर समिति के प्रोम खाद की खरीद-बिक्री में वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कड़ा रुख अपनाया गया है। बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक (वसूली एवं पर्यवेक्षण) धर्मेंद्र कुमावत द्वारा जारी एक आदेश के तहत जिले की सभी 24 शाखाओं के अंतर्गत आने वाली पैक्स समितियों से हलधर समिति के प्रोम खाद की खरीद, बिक्री, स्टॉक और लाभांश (मार्जिन राशि) का पूरा ब्यौरा मांगते हुए रिपोर्ट तलब की गई है। यह कार्रवाई सिरोही केंद्रीय सहकारी बैंक में पदस्थ प्रबंध निदेशक के विरुद्ध दर्ज एक शिकायत के संदर्भ में उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, सिरोही के निर्देशानुसार की जा रही है। बैंक प्रबंधन ने साफ किया है कि यदि किसी समिति में खाद का काम शून्य रहा है, तो भी उसकी स्पष्ट सूचना तत्काल वसूली एवं पर्यवेक्षण अनुभाग को भेजी जाए। रिपोर्ट के लिए एक विशेष प्रारूप तय किया गया है, जिसमें समिति द्वारा खरीदी गई हलधर खाद की कुल मात्रा, दर और कुल क्रय राशि, वर्षभर में बेची गई खाद की मात्रा, दर और कुल विक्रय राशि, वर्तमान में भौतिक रूप से उपलब्ध स्टॉक की मात्रा और उसकी दर, खाद की इस पूरी खरीद-बिक्री से पैक्स समितियों को प्राप्त हुआ कुल शुद्ध मार्जिन (लाभ) की जानकारी मांगी गई है|

## हाईकोर्ट ने 57 सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई अंतरिम रोक

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

**जोधपुर ।** राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने सिरोही जिले की 57 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के विरुद्ध उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सिरोही द्वारा जारी जांच परिणामों को एकतरफा मानते हुए उनके खिलाफ प्रस्तावित धारा 57 व अनुशासनात्मक कार्रवाई के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है । दरअसल, सिरोही जिले की इन 57 ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा प्रोम जैविक खाद का क्रय किया जाना था, जिसकी जांच करने वाले सहकारिता विभाग के निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया था कि तत्कालीन समय में डीएपी खाद की भारी किल्लत होने के कारण व्यवस्थापकों ने किसानों की जरूरत को देखते हुए अपनी-अपनी समितियों के संचालक मंडल के वैध प्रस्ताव और कृषि विभाग से प्राप्त लाइसेंस के आधार पर ही यह खरीद की थी । निरीक्षक ने यह भी रेखांकित किया था कि विभाग द्वारा प्रोम खाद की न्यूनतम या अधिकतम दर निर्धारित करने के संबंध में कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई थी और समितियों ने मुनाफे को ध्यान में रखकर ही इसे बेचा जिससे कोई वित्तीय हानि नहीं हुई । इसके बावजूद उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सिरोही ने निरीक्षक के निष्कर्षों के विपरीत जाकर और मनमाने तरीके से एक न्यूनतम व अधिकतम मानक दर का काल्पनिक गणितीय आधार तैयार करते हुए सभी व्यवस्थापकों, निरीक्षक तथा निजी कंपनियों को अनियमितता का दोषी ठहराकर उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई प्रस्तावित कर दी थी । उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सिरोही द्वारा कानून और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन कर जारी किए गए इस त्रुटिपूर्ण जांच परिणाम के विरुद्ध पीड़ित व्यवस्थापकों ने राजस्थान हाईकोर्ट की शरण ली । वहां याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अशोक कुमार चौधरी ने प्रभावी पैरवी करते हुए पुरजोर तर्क दिया कि यह खरीद पूरी तरह वैध और किसानों के हित में थी, जिससे सहमत होते हुए जस्टिस कुलदीप माथुर की एकलपीठ ने विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम स्टे जारी कर दिया ।

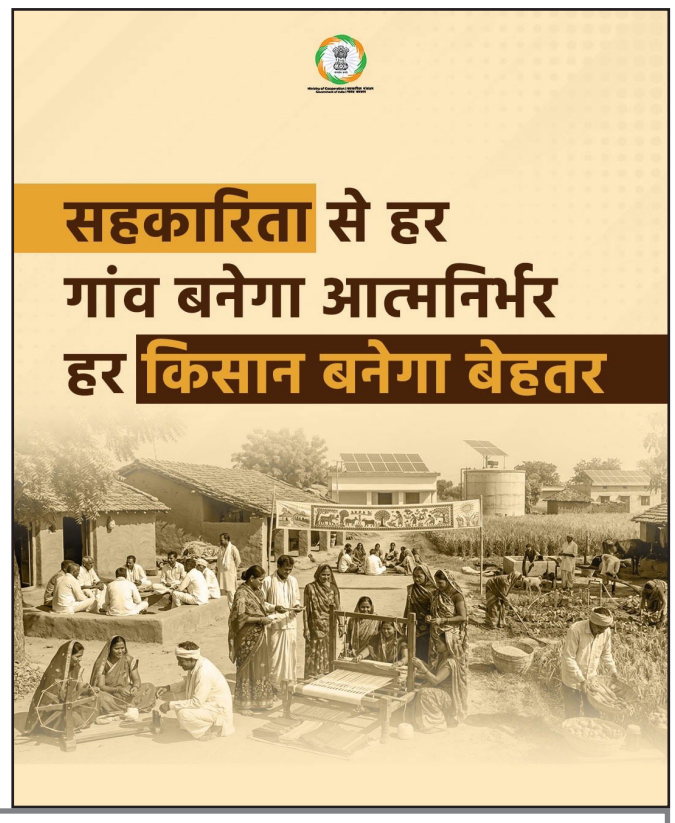


## जोधपुर सीसीबी में वेतन-भत्ते भुगतान पर सहकारिता विभाग का लिखित जवाब - नहीं होगी कोई जांच

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

**जयपुर ।** जोधपुर केंद्रीय सहकारी बैंक के कर्मचारियों को दिए गए भारी-भरकम वेतन और एरियर भुगतान को लेकर, राजस्थान विधानसभा के पंचम सत्र में भोपालगढ़ विधायक श्रीमती गीता बरवड़ द्वारा अतारांकित प्रश्न लगाया गया था । इसका सहकारिता विभाग द्वारा हाल ही में जवाब प्रस्तुत किया गया । जिसके मुताबिक, जोधपुर केंद्रीय सहकारी बैंक में कार्यरत बैंक कर्मियों के लिए 15वां वेतन समझौता 1 नवंबर 2019 से प्रभावी किया गया है तथा 16वां वेतन समझौता 1 मार्च 2024 से लागू कर, इन समझौतों के लागू होने के बाद बैंक कर्मियों और अधिकारियों को वेतन तथा एरियर (बकाया) का भुगतान किया जा चुका है । सहकारिता विभाग की ओर लिखित जवाब के अनुसार, सीसीबी के कई अधिकारियों और कर्मचारियों को लाखों और करोड़ रुपये तक का भुगतान किया गया है । इसके अलावा अन्य दर्जनों कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि और पद के अनुसार 15वें एवं 16वें समझौते के तहत एरियर और वार्षिक वेतन जारी किया गया है । विधायक श्रीमती गीता बरवड़ ने विभाग से सवाल पूछा था कि "क्या यह सही है कि बैंक की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद कर्मचारियों एवं अधिकारियों को करोड़ों रुपये का वेतन और एरियर भुगतान किया गया?" इसके साथ ही उन्होंने पूछा था कि क्या सहकारिता विभाग इस भुगतान की जांच के लिए किसी विशेष समिति के गठन पर विचार कर रही है । इन सवालों पर सहकारिता विभाग ने स्पष्ट रुख अपनाते हुए दोनों ही बातों से साफ इनकार कर दिया है । विभाग ने इस बात को 'जी नहीं' कहकर खारिज कर दिया कि बैंक की माली हालत (कमजोर) होने के बावजूद यह भुगतान किया गया । विभाग के अनुसार नियमों के तहत ही यह राशि दी गई है । वही बैंक की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए वेतन-भत्तों और एरियर भुगतान की जांच के लिए किसी भी प्रकार की समिति गठित करने के विचार को सरकार ने सिरे से नकार दिया है।

### नियमों का उल्लंघन या वित्तीय गड़बड़ियां छिपाने पर की जाएगी कठोर दंडात्मक कार्रवाई

# सहकारी समितियों की ऑडिट में लापरवाही पर विभाग सख्त, मुख्यालय पर उपस्थित होकर ही करना होगा अंकेक्षण कार्य

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

**जयपुर |** सहकारिता विभाग ने प्रदेश की सहकारी समितियों की वार्षिक वैधानिक लेखा परीक्षा (ऑडिट) में सामने आ रही गंभीर लापरवाहियों को देखते हुए कड़ा रुख अपनाया है । सहकारिता विभाग पंजीयक द्वारा जारी एक ताजा परिपत्र के अनुसार, विभाग के संज्ञान में आया है कि कई विभागीय लेखा परीक्षक और चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) फर्में सहकारी समितियों के मुख्यालय पर उपस्थित हुए बिना ही ऑडिट कार्य निपटा रही हैं । इसे सहकारिता विभाग पंजीयक डॉ. समित शर्मा ने राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001, नियम 2003 और विभागीय दिशा-निर्देशों का खुला उल्लंघन माना है । अब रजिस्ट्रार ने यह पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है कि सभी विभागीय अंकेक्षकों और सीए फर्मों को संबंधित सहकारी समिति के मुख्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा और वहां मौजूद मूल अभिलेखों एवं लेखा पुस्तकों के गहन भौतिक आधार पर ही अंकेक्षण कार्य संपादित करना होगा । मुख्यालय से नदारद रहकर मनमाने तरीके से ऑडिट करने की परिपाटी पर अब पूरी तरह रोक लगा दी गई है । इस नए आदेश के तहत रजिस्ट्रार ने स्पष्ट किया है कि ऑडिट महज एक कागजी औपचारिकता बनकर नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह वास्तविक और धरातलीय परीक्षण पर आधारित होनी चाहिए । अक्सर देखा गया है कि ऑडिट रिपोर्टों में वित्तीय अनियमितताओं का जिक्र तो कर दिया जाता है, लेकिन उन्हें प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं होते । इसी वजह से अब मुख्यालय पर उपस्थिति दर्ज कराकर स्टॉक, नकद राशि, बैंक खातों, ऋण वितरण, लोन रिकवरी और एनपीए जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय बिंदुओं का मौके पर ही वास्तविक सत्यापन करना होगा । यदि कोई समिति या उसका अधिकारी ऑडिट के दौरान कैश बुक, लेजर, वाउचर या स्टॉक रजिस्टर जैसे जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराता है या सहयोग नहीं करता है, तो ऑडिटरों को इसकी स्पष्ट टिप्पणी अपनी रिपोर्ट में उत्तरदायित्व तय करते हुए दर्ज करनी होगी । ऐसे असहयोग करने वाले संस्थानों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए मामला उप पंजीयक को भेजा जाएगा । रजिस्ट्रार ने चेतावनी दी है कि गबन, धन का दुरुपयोग या नियमों के खिलाफ जाकर बांटे गए कर्ज जैसी वित्तीय गड़बड़ियों को छुपाने की कोशिश अब भारी पड़ेगी । यदि भविष्य में किसी जांच, निरीक्षण या आगामी ऑडिट के दौरान पुरानी वित्तीय अनियमितताओं को छुपाने का मामला सामने आता है, तो संबंधित अंकेक्षक या सीए फर्म की सीधी जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनके खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई अमल में लाते हुए दायित्व निर्धारण किया जाएगा । इसके अलावा सीए फर्मों के लिए यह भी साफ कर दिया गया है कि निर्धारित समयावधि में मूल ऑडिट रिपोर्ट संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत किए बिना उन्हें किसी भी प्रकार के अंकेक्षण शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा और उन्हें विभाग की मासिक समीक्षा बैठकों में भी अनिवार्य रूप से शामिल होना होगा ।

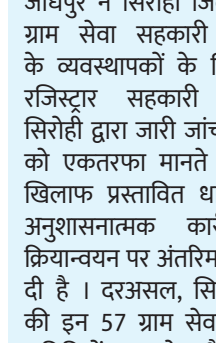

### लापरवाही रोकने के लिए नियमित मॉनिटरिंग पर जोर

इस पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारियों और विशेष लेखा परीक्षकों को नियमित निगरानी एवं प्रभावी पर्यवेक्षण का जिम्मा सौंपा गया है । उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे अधीनस्थ लेखा परीक्षकों की प्रगति की मासिक समीक्षा करें और रिपोर्टों के पूरी तरह जांचने के बाद ही उन्हें आगे बढ़ाएं । यदि कार्य के दौरान किसी भी स्तर पर बड़ी वित्तीय धांधली या गबन उजागर होता है, तो अधिनियम की धारा 57 के तहत तुरंत सक्षम स्तर पर मामला दर्ज कराने की अनुशंसा की जाएगी । सहकारिता विभाग की इस सख्ती का मुख्य उद्देश्य सहकारी संस्थाओं की पूरी लेखा परीक्षा प्रणाली को अधिक तथ्यपरक, जिम्मेदार और पारदर्शी बनाना है ।

स्वत्वाधिकारी, स्वामी, प्रकाशक, संपादक, मुद्रक प्रकाश वैष्णव के लिए वैष्णव कंप्यूटर्स प्रिन्टर्स वैष्णव फार्म परावा तह. चितलवाना जिला-जालोर (राज.) 343041 से मुद्रित एवं सुभाष नगर सांचौर (जिला-जालोर) से प्रकाशित । संपादक । मो. 9602473302 । नोट : पीआरबी एक्ट के तहत खबर चयन के लिए उत्तरदायी । (तमाम विवादों का न्याय क्षेत्र सांचौर (राज.) होगा )

समाचार संकलन में यद्यपि पूर्ण विश्वसनीयता बरती जाती है तथापि तकनीकी त्रुटियां व अन्य किसी कारणवश समाचार प्रकाशन में त्रुटि होना संभावित है। इस प्रकार की त्रुटि के लिए प्रबन्धन पाक्षिक "मारवाड़ का मित्र" किसी भी प्रकार से जिमेदार नहीं होगा । समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर ही प्राप्त होने वाली प्रकाशन संबंधी शिकायत/आपत्ती पर विचार होगा एक माह बाद शिकायत आपत्ती पूर्णतया अस्वीकार अमान्य होगी। इस समाचार पत्र से संबंधित समस्त वाद-विवादों का न्यायिक क्षेत्र सांचौर (राज.) रहेगा ।